राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

(चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं)

आर.टी.डी.सी. मुख्यालय (स्वागतम होटल परिसर) रेल्वे स्टेशन, जयपुर

क्रमांक एफ.(56)/एबी–एमजीआरएसबीवाई/डीआईयू/2021/ 1490 दिनांक: 15-7-2021

आदेश

विषयः मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में District Implementation Unit (DIU) के अर्न्तगत जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) **पर नियुक्ति बाबत्।**

संदर्भः विभाग का पत्र कमांक 920 दिनांक 02.06.2021 के कम में।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के कियान्वयन के लिए District Implementation Unit (DIU) के अर्न्तगत जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर नियुक्ति बाबत् न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं कार्य क्षेत्र के संदर्भ में पत्र कमांक 920 दिनांक 02.06.2021 के द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त कम में कुछ जिलों से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियो द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त निर्धारित योग्यता के अभ्यर्थी के जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर आवश्यक अस्थाई आधार (Urgent Temporary Basis) पर नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हो रहे है।

अतः जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद हेतु संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव निम्नानुसार रहेगा–

संशोधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं कार्य क्षेत्र के मापदंड	
Qualification	**Essential Qualification** MBA (2 year programme)/Chartered Accountant (CA)/Master in Public Health/Master in Hospital Administration (2 year programme). **Preferable:** At least 03 year's experience in implementation of government health insurance programmes or insurance industry or TPA. **Other Experience Required-** • Good Communication and presentation skills, analytical and interpersonal abilities, excellent oral and written communication skills in English & Hindi. • Knowledge of Computer with commonly used packages like MS Word, Excel, Power point and Information Technology. • Experience in related Documentation.

उक्त पद के संबंध शेष नियम एवं शर्ते इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी पत्र कमांक 920 दिनांक 02.06.2021 के अनुसार रहेंगी।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरांत जारी किया जा रहा है।

15.9.21
(काना राम)
संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांक एफ.(56)/एबी–एमजीआरएसबीवाई/डीआईयू/2021/-1820 **दिनांकः** 15.9.2021

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर को भेजकर लेख है कि यदि आपके जिलें में जिला कार्यक्रम समन्वयक के पद पर किसी अभ्यर्थी की सेवाएं नहीं ली गई है उक्तानुसार अविलम्ब कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करावें।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
7. कार्यकारी अधिकारी, आरएसएचएए–समस्त।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है। जिन जिलों में अभ्यर्थी की सेवाएं नहीं ली गयी है वें आज ही सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करावें ताकि संबन्धित जिलों के लिए आवेदन प्राप्त करने हेतु एकीकृत विज्ञप्ति राज्य स्तर से जारी की जा सके।
9. सलाहकार, आई.टी, आरएसएचएए, को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर सभी को ई–मेल द्वारा भिजवायें।
10. कार्यालय प्रति।

संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी